B-II
L-20
Polity

अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया →

उच्चतम न्यायालय ने एक चौंका देने वाला निर्णय देते हुए कहा कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति नहीं है अपितु केवल प्रक्रिया का उल्लेख है जिसके अनुसार -

i) संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।

ii) इसके लिए संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं होगा।

iii) संशोधन के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, जिसमें सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वालों का दो तिहाई बहुमत होता है।

iv) उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 245 और 246 से प्राप्त होती है।

विधायी और संविधायी शक्ति में कोई अन्तर नहीं है -

उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों को बचाने के लिए यह स्पष्ट कर दिया कि मूल अधिकारों को न तो सामान्य विधि से छीना जा सकता है और न ही संविधान संशोधन विधि के द्वारा। इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद की विधायी और संविधायी शक्ति में कोई अंतर नहीं है और अनुच्छेद-13 के खंड (2) में उल्लेखित विधि शब्द में सामान्य विधि और संविधान संशोधन विधि दोनों शामिल हैं।

गोलकनाथ वाद के निर्णय को परिवर्तित करने का संसद का प्रयास →

उच्चतम न्यायालय ने आर. सी. कूपर वाद में जिसे लोकप्रिय रूप में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का वाद भी कहा जाता है (बैंकों के राष्ट्रीयकरण को रद्द कर दिया था) और माधव राव सिंधिया

बाद में (प्रिवी पर्स वाद में) न्यायालय ने इंदिरा गाँधी के आदेश और अध्यादेश को रद्द कर दिया था और वर्ष 1971 के चुनाव में भारी बहुमत से जीतने के बाद संसद ने निदेशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए समाजवाद लाने हेतु और न्यायालय की शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए २४ वाँ, २५ वाँ, २६ वाँ, २९ वाँ संविधान संसोधन किया गया।

२४ वाँ संविधान संसोधन >

- २४ वें संविधान संसोधन के द्वारा संविधान संसोधन हेतु भाग - XX में अनुच्छेद 368 के खण्ड (1) और खण्ड (3) को जोड़ा गया।
- इस संसोधन के माध्यम से संसद ने यह स्पष्ट कर दिया कि अनुच्छेद 368 में संविधायी शक्ति है और संसोधन की प्रक्रिया भी है।
- अनुच्छेद - 368 की प्रक्रिया को अपनाते हुए संवि-

धान के किसी भी भाग का संसोधन किया जा सकता है जिसमें मूल अधिकारों का भाग-III भी शामिल है। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि संसद की संविधान संसोधन शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है क्योंकि मूल अधिकारों की रक्षा करने वाले अनुच्छेद-13 के खण्ड (2) में संविधान संसोधन विधि शामिल नहीं है।

निदेशक तत्वों को प्राथमिकता →

25 वें संविधान संसोधन से अनुच्छेद-31 (C) जोड़ा गया जिसके द्वारा पहली बार किसी निदेशक तत्व को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गयी।

इसके द्वारा -

i) अनुच्छेद - 39 (b) (c) को मूल अधिकारों के अनुच्छेद-14, 19 और 31 से प्राथमिक माना गया।

ii) इसी संसोधन से न्यायिक पुनरावलोकन को

भी सीमित करने का प्रयास किया गया क्योंकि अनुच्छेद - 39 (b) (c) को लागू करने के लिए मूल अधिकार के अनुच्छेद - 14, 19 और 31 का उल्लंघन किया गया है, इसकी जाँच भी न्यायालय नहीं कर सकता।

iii) अनुच्छेद - 31 के खण्ड (2) में उल्लिखित मुआवजा शब्द को हटा दिया गया और उसके स्थान पर राशि शब्द का प्रयोग किया गया।

26 वें संविधान संशोधन से प्रिवी पर्स को भी हटा दिया गया।

केशवानन्द भारती वाद बनाम केरल राज्य →

⇒ इन्दिरा गाँधी की बढ़ती शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया जिसमें 24 वें, 25 वें, 26 वें और 29 वें संविधान संशोधन की

वैधानिकता को चुनौती दी गई थी।

⇒ उच्चतम न्यायालय ने 24 वें संविधान संशोधन को संवैधानिक कहते हुए कहा कि संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए मूल अधिकार को छीन सकती है इसीलिए इस वाद को लोकप्रिय रूप में मूल अधिकार वाद के रूप में जाना जाता है।

⇒ प्रिवी पर्स की समाप्ति को भी स्वीकार कर संवैधानिक माना और न्यायालय ने यह भी कह दिया कि अनुच्छेद-31 (b) (c) को लागू करने के लिए मूल अधिकारों के अनुच्छेद-14, 19 और 31 को सीमित किया जा सकता है और न्यायालय के निर्णय का परिणाम यह हुआ कि-

संसद की विधायी व संविधायी शक्ति को पृथक मान लिया।

अनुच्छेद-13 के खण्ड (2) में उल्लेखित

विधि में सामान्य विधि शामिल होगी और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया दोनों हैं।

केशवानन्द भारती वाद और आधारभूत ढाँचा →

आधारभूत ढाँचे शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं है, यह सिद्धांत न्यायालय ने केशवानन्द भारती वाद में दिया जिसके माध्यम से कहा कि संविधान की व्याख्या के लिए-

i) संविधान के शब्दों अथवा प्रावधानों को प्राथमिकता दी गई।

ii) न्यायालय ने कहा कि संविधान की व्याख्या के लिए संविधान के शब्दों के बजाय संविधान के संदर्भ, उसकी आत्मा और दर्शन को समझने की आवश्यकता है।

→ न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 368 की व्याख्या करते हुए कहा गया कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर एक अंतर्निहित प्रतिबंध आरोपित है।

→ इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति का यह आशय नहीं है कि संसद न्यायिक पुनरावलोकन छीन लेगी। संविधान के संशोधन और पुनर्लेखन में अंतर है और संसद को संविधान के पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि संसद संविधान सभा नहीं है और पहली बार उच्चतम न्यायालय ने 39 वें संविधान संशोधन के उस भाग को रद्द कर दिया जिससे न्यायिक पुनरावलोकन को सीमित किया गया था।